

कार्यवाही विवरण

अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

31/12/21 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपाय वकील प्रार्थी ने कहस में रिक्वेस्ट किया कि न्यायालय हाजि ने प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मांगला भांगे हुए दिनांक 30.12.21 को अंतरिम आदेश पारिषद अपार्षीगण के पास किया वगैर उक्त आदेश के बाद अपार्षीगण 31/12 कोई पत्रावली प्रार्थी पत्रावली पेश की है कि न्यायालय के आदेश 30.12.21 को मूलवाद के निस्तारण तक रुक्यति किया जावे वकील प्रार्थी की कहस पर मंगन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जाण उक्त सुनने के न्यायालय 31/12 प्रथम दृष्टया प्रकरण मानने हुए दिनांक 30.12.21 को शकपत्रीय अंतरिम आदेश जारी किया है उक्त कस अपार्षीगण की ओरसे कोई पत्रावली प्रार्थी पत्रावली पत्रावली पेश की है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 30.12.21 को मूलवाद के निस्तारण तक रुक्यति किया जाना न्यायोचित है

अतः वकील प्रार्थी का आग्रह अस्वीकृत निषेधात्मक स्वीकार किया जाण है तथा न्यायालय आदेश दिनांक 30.12.21 को मूलवाद के निस्तारण तक रुक्यति किया जाण है तथा अपार्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक खण 163 टक्का 377 ग्राम जाबल के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पारिषद किया जाण है निरति आण दिनांक 31/12/21 को उक्त न्यायालय के हुतागत पत्रावली के लिये अग्रत दोष का उक्त वकील दाखिल पेश है।

स्वात्राधि

31/12/21 एवं कार्यपालक सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रैक) नवलगढ़